

**न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला**  
**जिला बैतूल**

दांडिक प्रकरण क :- 89/11

संस्थापन दिनांक:-07/04/11

फाईलिंग नं. 233504000402011

मध्यप्रदेश राज्य  
द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,  
जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

**वि रू द्ध**

1. आनन्दराव पिता झिग्गू उम्र 62 वर्ष
2. घुसू पिता श्रवण, उम्र 26 वर्ष
3. रोनू पिता श्रवण, उम्र 30 वर्ष
4. राजू पिता आनन्दराव, उम्र 40 वर्ष  
सभी निवासी काजली,  
थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्तगण**

**—: (नि र्ण य ) :-**

**(आज दिनांक 19.11.2016 को घोषित)**

1 प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 294, 336, 451, 506 भाग-दो भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 06.04.2011 के 01:00 बजे फरियादी मुन्नीबाई के खेत का मकान ग्राम काजली थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत फरियादी को मां बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं दूसरों को क्षोभ कारित किया एवं उतावलेपन एवं उपेक्षा से फरियादी के घर में पत्थर फेंका जिससे फरियादी का मानव जीवन या दूसरों का वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न कारित किया एवं कारावास से दंडनीय अपराध कारित करने के लिए गृह अतिचार कारित किया तथा फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि घटना दिनांक 06.04.2011 को फरियादी के पति राजेंद्र का अभियुक्तगण से खेत के रास्ते को लेकर सुबह 8-9 बजे विवाद हुआ था। उसी बात को लेकर दिन में करीब 1.30 बजे अभियुक्त आनंदराव उसके घर के सामने आया और गंदी गंदी गालियां देकर मादरचोद बहनचोद की गाली दी और इसका घर तोड़ डालो कहकर चारो अभियुक्तगण ने पत्थर से उसके घर के सामने रखी सिनटेक्स की टंकी एवं पलंग को तोड़ दिया और चारो ने उसके घर पर पत्थर फेंके जिस पर वह उसके घर के अंदर घुस

गयी तो अभियुक्तगण ने उसके सामने का दरवाजा तोड़फोड़ कर दिया और सोफा फर्नीचर भी फेंक फाक कर पलटा दिया। जब वह घर से बाहर निकली तो उसे मारपीट की तथा उसे पत्थर से चोट आयी। अभियुक्तगण ने उसके घर के सामने सिंचाई पाईप को भी तोड़ दिया। अभियुक्तगण ने उन्हें जिंदा नहीं छोड़ने की धमकी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अपराध क्र. 78/11 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। आहत का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्तगण द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उनका कहना है कि वे निर्दोष हैं और उन्हें झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह हैं :-

1. क्या अभियुक्तगण ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी को मां बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं दूसरों को क्षोभ कारित किया ?
2. क्या अभियुक्तगण ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर उतावलेपन एवं उपेक्षा से फरियादी के घर में पत्थर फेंका जिससे फरियादी का मानव जीवन या दूसरों का वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न कारित किया ?
3. क्या अभियुक्तगण ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर कारावास से दंडनीय अपराध कारित करने के लिए गृह अतिचार कारित किया ?
4. क्या अभियुक्तगण ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?
5. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

## ॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

### विचारणीय प्रश्न क. 01 एवं 04 का निराकरण

5 मुन्नीबाई (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि घटना के समय अभियुक्तगण ने उन्हें गालियां दी और कहा था कि भीमराव की लोंडी बाहर निकल की गाली दी थी। इस संबंध में राजेंद्र (अ.सा.-2) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में प्रकट किया है कि घटना के समय अभियुक्तगण ने उन लोगों को मादरचोद, बहन के लवड़े काट डालेंगे की गालियां दी थी जो सुनने में बुरी लगी थी। साक्षी पुंजीबाई (अ.सा.-4), सुरेंद्र उर्फ दुर्गेश (अ.सा.-5) एवं शिवशंकर (अ.सा.-6) ने भी घटना के समय अभियुक्तगण द्वारा गाली गलौच किये जाने की बात बतायी है। साक्षी/फरियादी मुन्नीबाई (अ.सा.-1) एवं राजेंद्र (अ.सा.-2) ने जो शब्द न्यायालय में बताये हैं वे शब्द ग्रामीण परिवेश में सामान्यतः बिना उनके शाब्दिक अर्थ के मात्र क्रोध प्रकट करने के लिए उच्चारित किये जाते हैं जिन्हें भले ही नैतिकता के विरुद्ध माना जाता हो किंतु अभियुक्त एवं फरियादी के ग्रामीण परिवेश को देखते हुए धारा 294 भा.दं.सं. के अर्थ में अश्लील नहीं माना जा सकता। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **बंशी विरुद्ध रामकिशन 1997 (2) डब्ल्यू.एन. 224** अवलोकनीय है जिसमें प्रतिपादित विधि अनुसार केवल गालियां दी जाना इस अपराध को घटित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। फलतः अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 294 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

6 साक्षी मुन्नीबाई (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्तगण ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। इस संबंध में सुरेंद्र उर्फ दुर्गेश (अ.सा.-5) एवं शिवशंकर (अ.सा.-6) ने प्रकट किया है कि घटना के समय अभियुक्तगण ने जान से मारने की धमकी दी थी। इसके अतिरिक्त इस संबंध में अन्य किसी अभियोजन साक्षी ने उनके न्यायालयीन परीक्षण में कोई कथन नहीं किये हैं। यद्यपि मुन्नीबाई (अ.सा.-1), सुरेंद्र उर्फ दुर्गेश (अ.सा.-5) एवं शिवशंकर (अ.सा.-6) ने अभियुक्तगण द्वारा फरियादी को जान से मारने की धमकी दिये जाने के संबंध में कथन किये हैं परंतु अभियुक्तगण द्वारा उपरोक्त धमकी दिये जाने के पश्चात ऐसा कोई आचरण किया जाना अभियोजन साक्ष्य से दर्शित नहीं हुआ जिससे यह परिलक्षित हो कि अभियुक्तगण का उनके द्वारा दी गयी धमकी को क्रियान्वित करने का आशय रहा हो। अतः मारपीट के समय दी गई धौंस मात्र से धारा-506 भाग-2 भा0दं0सं0 का आरोप प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

### विचारणीय प्रश्न क. 02 एवं 03 का निराकरण

7 उपर्युक्त विचारणीय प्रश्न साक्ष्य के एक ही अनुक्रम से संबंधित होने के कारण साक्ष्य के दोहराव से बचने हेतु एवं सुविधा की दृष्टि से दोनों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

8 मुन्नीबाई (अ.सा.-1) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया कि दोपहर में लगभग 01.30 बजे अभियुक्तगण घर के अंदर घुस गए एवं घर में मिर्ची मसाला डाल दिया। अभियुक्तगण ने कुल्हाड़ी, चाकू, और लठ से घर का सोफा, पलंग, पानी की सिन्टैक्स की टंकी तोड़ दिया। जिससे की करीब 50,000/- रुपये का नुकसान हुआ तथा अभियुक्तगण ने चंद्रकला के साथ में मारपीट किया जिससे उसके हाथ में चोट आई थी। उक्त साक्षी ने आगे यह भी प्रकट किया कि घटना के समय उसकी ननंद एवं दुर्गेश दादी पुंजीबाई तथा पति राजेन्द्र घर पर ही थे। अभियुक्तगण ने घर पर पत्थर भी फेंके थे जो कि दरवाजे एवं शीट पर लगे थे। राजेन्द्र (अ.सा.-2) ने फरियादी मुन्नीबाई (अ.सा.-1) के कथनों का समर्थन करते हुए न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया कि दिन में लगभग 1.30 बजे अभियुक्तगण घर के बाहर आए और पत्थर तथा लकड़ी से घर के गेट, पानी की टंकी तोड़ फोड़ किए जिससे करीब 60,000/- रुपये का नुकसान हुआ। उक्त साक्षी ने आगे यह भी प्रकट किया कि एक अभियुक्त ने घर के अंदर घुसकर सोफा भी तोड़ दिया था। सुरेन्द्र उर्फ दुर्गेश (अ.सा.-5) ने भी फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुए यह प्रकट किया कि अभियुक्तगण ने घर में पत्थर मारकर पानी की टंकी, खटिया, शीट, टीवी, गेट आदि तोड़ दिए थे।

9 चंद्रकला (अ.सा.-3) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया कि घटना दिनांक को सुबह के समय अभियुक्तगण ने उसके साथ मारपीट एवं झगड़ा किए थे तथा बाएं हाथ में किसी चीज से मारा था जिससे उसे चोट आई थी। अभियुक्त रोनु के पास कुल्हाड़ी थी तथा जब वह थाने में शिकायत करने के लिए आई तो अभियुक्त आनंदराव थाने में बैठा था और उसने थाने से बाहर निकलकर गुंडों से कहा कि जाओ और इनके घर को जला दो। उक्त साक्षी ने आगे यह भी प्रकट किया कि जब वह घर गई तो घर का सामान टूटा फूटा था, शीट और पाईप भी टूटे थे तथा उसे मुन्नीबाई एवं अन्य लोगों ने यह बताया कि अभियुक्तगण ने घर में घुसकर तोड़फोड़ की थी। पुंजीबाई (अ.सा.-4) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया कि दोपहर के 1.30 बजे अभियुक्तगण ने उनके घर पर आकर लड़ाई झगड़ा किए थे।

10 बचाव अधिवक्ता का तर्क है कि उभयपक्ष के मध्य रंजिश का तथ्य विद्यमान है तथा समस्त साक्षी एक ही परिवार के होकर हितबद्ध साक्षी हैं तथा इनके कथनों में पर्याप्त विरोधाभास है, जिससे अभियोजन कथा को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं माना जा सकता। जबकि अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित होने का तर्क प्रस्तुत किया है।

11 बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में मुन्नीबाई (अ.सा.-1), राजेन्द्र (अ.सा.-2), सुरेन्द्र उर्फ दुर्गेश (अ.सा.-5) ने न्यायालयीन परीक्षण में अभियुक्तगण द्वारा घर पर घुसकर पत्थर से घर के सामान की तोड़फोड़ करना

प्रकट किया है। मुन्नीबाई (अ.सा.-1) ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 4 में यह बताया कि उसने सुबह 9 बजे की घटना को लेकर थाने में रिपोर्ट की थी तथा विवाद खेती के रास्ते को लेकर था। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने यह भी बताया कि अभियुक्तगण के साथ 20-25 गुंडे भी आए थे, जिन्हें देखकर वे लोग दरवाजा बंद करके घर के अंदर चले गए थे तथा खिड़की से सारी घटना देखी थी तथा अभियुक्तगण के साथ आए गुंडों ने घर में तोड़ा फोड़ी की थी। राजेन्द्र (अ.सा.-2) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया कि उसने घटना नहीं देखी थी। उसे इस बात की जानकारी लगी थी कि दिन में झगड़ा हुआ था। चंद्रकला (अ.सा.-3) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया कि खेत में उसके साथ मारपीट हुई थी तथा पैरा 4 में उक्त साक्षी ने यह बताया कि उसने पुलिस को यह बताया कि घर के अंदर मारपीट की थी तथा पत्थर से भी मारपीट किया था। पैरा 6 में उक्त साक्षी ने यह बताया कि उसने घटना की रिपोर्ट सुबह 10 से 11 के बीच में कर दी थी। पुंजीबाई (अ.सा.-4) ने यह बताया कि उसे यह पता चला था कि लड़ाई झगड़ा हुआ था पर किस किसके बीच में हुआ उसे यह नहीं मालूम। सुरेन्द्र उर्फ दुर्गेश (अ.सा.-5) में यह बताया कि अभियुक्तगण से उनका विवाद सुबह 9 बजे खेत पर हुआ था। यह भी बताया कि अभियुक्तगण बहुत सारे गुंडे लेकर आए थे मौके पर बहुत भीड़ जमा हो गई थी और भीड़ को देखकर हम सब घर के अंदर चले गए थे। पैरा 3 में उक्त साक्षी ने यह बताया कि खिड़की से उसने यह देखा था कि अभियुक्तगण ने तोड़फोड़ की थी।

12 बी.पी. चौरिया (अ.सा.-7) ने दिनांक 06.04.2011 को सीएचसी आमला में मेडिकल ऑफिसर के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को आहत चंद्रकला का परीक्षण किये जाने पर उसके हाथ के दोनों अग्रभुजा में सामने की तरफ रगड़े के कई निशान तथा गर्दन एवं दाहिने कंधे पर दर्द की शिकायत पाई थी। उक्त साक्षी ने आहत को आई चोट परीक्षण के 6 घंटे के भीतर तथा सक्षत तथा बोथरी वस्तु से आना प्रकट करते हुए चिकित्सीय रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-2) पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित किया है।

13 अशोक घनघोरिया (अ.सा.-8) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में दिनांक 06.04.2011 को थाना आमला में थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ रहते हुए अपराध क्र. 78/11 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर नक्शा मौका (प्रदर्श प्री-3) एवं अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर प्रदर्श प्री-4 लगायत 7 का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया जाना बताया है। साक्षी ने उक्त दस्तावेजों पर उसके हस्ताक्षरों को भी प्रमाणित किया है। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह बताया कि उसके द्वारा नुकसानी पंचनामा नहीं बनाया गया था। ना ही पत्थरों की जप्ती बनाई गई तथा यह भी बताया कि घटना खेत के रास्ते की थी इसलिए किसी भी स्वतंत्र साक्षी के कथन लेखबद्ध नहीं किए गए।

14 अभियोजन कथा अनुसार घटना दिनांक को खेत के रास्ते को लेकर सुबह 8-9 बजे फरियादी के पति राजेन्द्र तथा देवर सूर्यभान के साथ अभियुक्तगण का झगड़ा हुआ उसी बात पर से अभियुक्तगण दोपहर में 1.30 बजे घर पर आकर पत्थर से घर के सामने रखी टंकी, पलंग में तोड़फोड़ की तथा वह एवं उसकी दादी सास एवं ननंद दुर्गा घर के अंदर घुस गए तथा जब उसके देवर दुर्गेश तथा शिवशंकर आए तो उन्हें घटना की पूरी जानकारी दी गई और उसके बाद थाने में आकर रिपोर्ट की गई। इस प्रकार अभियोजन कथा अनुसार घटना के समय लगभग दोपहर में 1.30 बजे मुन्नीबाई, पुंजीबाई एवं दुर्गा थे, परंतु मुन्नीबाई में अपने परीक्षण के पैरा 2 में यह बताया कि घटना के समय सभी लोग घर पर ही थे तथा सभी साक्षीगण ने घटना के समय घर पर होना बताया है तथा अभियुक्तगण के द्वारा पत्थर से तोड़फोड़ की जाना बताया है, परंतु साक्षी चंद्रकला ने अपने परीक्षण में दोपहर में 1.30 बजे घर पर होना नहीं बताया है तथा घटना की जानकारी मुन्नीबाई से प्राप्त होना बताया है। पुंजीबाई ने भी यह बताया कि उसे सिर्फ यह जानकारी हुई थी कि घर में लड़ाई झगड़ा हुआ है। राजेन्द्र (अ.सा.-2) ने जो कि अभियोजन कथा अनुसार घर पर नहीं था उसने अपने समक्ष घटना घटित होना बताते हुए यह बताया कि एक अभियुक्त घर के अंदर घुसा था और उसने सोफा तोड़ा था। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने यह बताया कि घटना उसने नहीं देखी थी। इस तरह से सभी अभियोजन साक्षियों के कथनों में पर्याप्त विरोधाभास है। साथ ही उक्त साक्षीगण के कथनों से यह प्रकट हो रहा है कि उक्त घटना के उसी दिन सुबह 9 बजे खेत के रास्ते को लेकर उभयपक्ष के मध्य विवाद हुआ था जिसके संबंध में भी साक्षीगण ने भिन्न-भिन्न कथन न्यायालय में प्रकट किये हैं। अभियोजन कथा अनुसार घटना दिनांक को सुबह 9 बजे फरियादी के पति राजेन्द्र के साथ झगड़ा हुआ जबकि चंद्रकला (अ.सा.-3) ने यह बताया है कि सुबह अभियुक्तगण ने उसके साथ में मारपीट की थी और प्रकरण में आहत चंद्रकला की ही एमएलसी संलग्न है जिसके अवलोकन से सुबह 10 बजे उसका परीक्षण किया जाना दर्शित हो रहा है। जबकि हस्तगत प्रकरण में घटना दोपहर के 01:30 बजे की है।

15 प्रकरण में विवेचना अधिकारी के द्वारा न तो जप्ती पत्रक तैयार किया गया है और न ही नुकसानी पंचनामा तैयार किया गया है। यद्यपि यह भी उल्लेखनीय है कि अनुसंधान की कमी से अभियोजन का संपूर्ण मामला संदेहास्पद नहीं हो जाता है परंतु उपर्युक्त विवेचना से यह दर्शित हो रहा है कि साक्षियों के कथनों में पर्याप्त विरोधाभास है तथा साक्षीगण अपने कथनों में स्थिर भी नहीं है। तब ऐसी स्थिति में जप्ती पत्रक एवं नुकसानी पंचनामा का न बनाया जाना अभियोजन कथा को संदेहास्पद बना देता है। अतः युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं माना जा सकता कि अभियुक्तगण ने फरियादी के घर में पत्थर फेंककर मानव जीवन को संकटापन्न किया तथा घर में प्रवेश कर गृह अतिचार कारित किया। अतः अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 336, 451 भा.दं.सं. के अधीन अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

### विचारणीय प्रश्न क. 05 का निराकरण

16 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी को मां बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं दूसरों को क्षोभ कारित किया तथा उतावलेपन एवं उपेक्षा से फरियादी के घर में पत्थर फेंका जिससे फरियादी का मानव जीवन या दूसरों का वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न कारित किया एवं कारावास से दंडनीय अपराध कारित करने के लिए गृह अतिचार कारित किया तथा फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। फलतः अभियुक्तगण आनंदराव, घुसू, रोनु एवं राजू को भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 336, 451, 506 भाग-दो के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

17 अभियुक्तगण पूर्व से जमानत पर हैं। अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

18 अभियुक्तगण द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित  
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)